

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकआर.521-दो/०३

जिला—रत्नाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-15	<p>इस प्रकरण में दिनांक 4-5-07 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उपनहीं हो रहा है। अना. शासन की ओर से श्री के.के.द्विवेदी, अभि. उप.।</p> <p>उपरोक्त स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है।</p> <p>अतः आवेदक की रुचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p style="text-align: center;"> (एम.के.देशपांडे) सदस्य</p>

माननीय. महोदय,



न्यायालय
भारत

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोक्त राजस्व मण्डल गवालयर म० १०

C-८५१५१

प्रकरण क्रमांक : /2002-2003 R-521-III 2003

श्री आनंद कुमार चूपालव एकवर्ष
द्वारा बाज दि० 31.3.2003 द्वारा।

अवृत्त सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० शालियर

विष्णुप्रसाद पिता हरिकिशन, आयु ६ साल
धौंधा देहिया, निवासी शुजालपुर,
जिला शाजापुर म.प्र.

घिरद्द

- 1/- विक्रम सिंह पिता समरथल, आयु लगभग 40वर्ष जाति जैन महाजन, धौंधा व्यापार, निवासी बनियातेरी, शुजालपुर तिटी, जिला शाजापुर
- 2/- देवेंद्र कुमार पिता बागमल, आयु लगभग 32वर्ष जाति जैन श्रमद्भाजन, धौंधा हाइवर व्यापार निवासी लोहिया मार्ग शुजालपुर मण्डी, तहो शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश।
- 3/- श्रीमति विजयमाला विजयवर्गीय पति शिवाजी राव देशमुख धौंधा गृहकार्य, जाति मराठा,
- 4/- शिरिष कुमार पिता स्व. शिवाजी राव देशमुख, आयु लगभग 45वर्ष, जाति मराठा धौंधा सर्विस,
- 5/- राजीव कुमार पिता स्व० शिवाजी राव देशमुख आयु लगभग 40 साल, जाति मराठा, धौंधा व्यापार, रिस्प्रिंट क्रैं. । लगायत ३ निवासी शुजालपुर तिटी, हाल मुकाम साउथ परेड फ्लोर नं. 7 होटल सूर्यो के पास छोड़ौर, तहसील व जिला छोड़ौर मध्य प्रदेश - - - रिस्प्रिंटस

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश ए. राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 124 /2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 03/3/2003 ते द्वितीय होकर।

माननीय महोदय,